

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज १/११/१९ गंगाधरदास व काराधर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	---	---

3/6/19 आर्यवक्त्रा ठानी उपखण्ड / अरुनी मय
उपखण्ड / अरुनी मय उपखण्ड 120 L R Act
में आदेश जारी किया जा चुका है यह उपखण्ड
केन्द्र में विवेचना समाप्त किया जाता
है परमपत्नी के कुल भुगतान होकर
गणक के फल हो व कास्ट तैयारी
दस्तावेज दस्तावेज होकर अरुनी उपखण्ड
रहे।



उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नामल राजावतान (सासा)